" कोई भी मतदाता न छूटे"

सत्यमेव जयते

दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में अनुदेश

सितम्बर, 2016

दस्तावेज़ -9 संस्करण- 1

भारत निर्वाचन आयोग

Election Commission of India
निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली – 110 001

दस्तावेज़9

दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में अनुदेश

सितम्बर2016

भारत निर्वाचन आयोग

Election Commission of India

निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली – 110 001

"कोई भी मतदाता ना छूटें"

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं० 464/अनु/2016/ईपीएस

दिनांक: 21 दिसंबर, 2016

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
समस्त राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र।

विषय: दिव्यांग व्यक्तियों (पी डब्ल्यू डी) को सुविधाएं प्रदान करना – तत्संबंधी।

मुझे, दिव्यांग व्यक्तियों (पी डब्ल्यू डी) को सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में आयोग के दिनांक 21.04.2015, 20.10.2015 तथा 26.10.2007 के पत्र सं० 509/110/2004-जे.एस.1 तथा दिनांक 15 फरवरी, 2016 के पत्र सं० 464/अनुदेश/2016-ईपीएस की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराने का निदेश हुआ है।

प्रत्येक निर्वाचक, लोकतंत्र की बेहतर कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है तथा उन्हें अपना अधिकार अवश्य मिलना चाहिए। निर्वाचन विधियां, दिव्यांग व्यक्तियों को न केवल समानता की गारन्टी देती हैं, अपितु निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी पहुँच तथा सहभागिता के लिए भी प्रावधान करती हैं।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक समान रूप से अनुपालन किए जाने वाले उल्लिखित निदेशों के क्रियान्वयन के बारे में निर्णय लिया है:-

क. दिव्यांग व्यक्तियों (पी डब्ल्यू डी) की पहचान करना :-

1. प्रत्येक राज्य द्वारा जनगणना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग तथा समग्र योजना की सहायता से प्रारंभिक आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे।
2. दिव्यांग व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त किया जाएगा / नोडल अधिकारियों के रूप में कार्य सौंपे जाएंगे।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / बूथ लेवल अधिकारी स्तर पर उपर्युक्त विभागों से एकत्रित किए गए आंकड़ों से 18 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों की मतदान केन्द्रवार सूची तैयार की जाएगी।

ख. निर्वाचक नामावली :-

1. मतदाता सूची से दिव्यांगता के प्रकार का उल्लेख करते हुए दिव्यांग व्यक्तियों की एक पृथक मतदान केन्द्रवार सूची तैयार की जाएगी।
2. संबंधित विभागों से दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के पश्चात् पात्र दिव्यांग व्यक्तियों, जो निर्वाचक नामावली की सूची में सम्मिलित नहीं हैं, के नामों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

3. दिव्यांग व्यक्तियों को मतदान केन्द्रों, मतदाता सहायता केन्द्रों (एम एस के), वोटर असिस्टेंस केन्द्रों (व्ही ए सी), जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि के कार्यालय में सुविधाएं प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाएंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित कदम उठाए जाएंगे कि दिव्यांग व्यक्तियों को कतार में प्रतीक्षा न करनी पड़े।

4. उपर्युक्त सहायता केन्द्रों में प्ररूप 6, 7, 8 तथा 8क भरने की सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त अनुदेश दिए जाएंगे।

ग. स्वीप :-

1. प्रत्येक जिले के लिए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार एक अधिकारी नामोद्दिष्ट/नियुक्त किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा।

2. विभिन्न माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाएगा। सरल भाषा, सांकेतिक भाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओं में ब्रेल का प्रयोग करते हुए विशिष्ट मूलभूत प्रचार सामग्री तैयार (संबंधित राज्यों द्वारा) की जाएगी।

3. दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षित तथा प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट / चल शिविरों का आयोजन किया जाएगा तथा विभिन्न मीडिया के माध्यम से नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

4. दिव्यांग व्यक्तियों को निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में प्रोत्साहित करने तथा जागरूकता उत्पन्न करने हेतु छात्र संगठनों जैसे कि राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन सी सी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस), नेहरू युवा केन्द्र (एन वाई के) इत्यादि से स्वयंसेवी तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे।

5. सामान्य सेवा केन्द्रों (सी एस सी) / मतदाता सहायता केन्द्रों (एम एस के) के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

6. यह प्रयास किया जाएगा कि जिला परिसर एम्बैसडर (जिला कैंपस एम्बैसडर) एवं जिला/राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति (आईकॉन) के रूप में सुप्रसिद्ध दिव्यांग व्यक्ति हों।

घ. गैर सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों/दिव्यांग व्यक्तियों के संगठनों/रेजीडेंट कल्याण संगठनों को सम्मिलित करना :-

1. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक तथा अन्य संगठनों, जैसे कि – गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ), समुदाय आधारित संगठनों (सी एस ओ), दिव्यांग व्यक्तियों के संगठनों (डी पी ओ) तथा रेजीडेंट कल्याण संगठनों (आर डब्लु ए) इत्यादि को गैर-राजनीतिक, गैर-पक्षपातपूर्ण रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में सूचना प्रदान करने में सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन संगठनों से सहायता ली जाएगी।
2. दिव्यांग व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें जागरूक बनाने के लिए केवल गैर-राजनीतिक तथा गैर-पक्षपातपूर्ण संगठनों पर विचार किया जाना चाहिए।

ङ. प्रणाली का संवेदनीकरण तथा प्रशिक्षण :-

1. दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को हल करने के प्रयास करने हेतु निर्वाचन प्रणाली को संवेदनशील बनाने हेतु विशेष प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाएगा।
2. निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित सभी अधिकारियों / कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों आदि को दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर स्पष्ट रूप से अनुदेशित किया जाना चाहिए।
3. संकेत भाषा तथा ब्रेल में अर्हता प्राप्त अनुदेशकों को प्रशिक्षण के प्रयोजन हेतु नियुक्त किया जाएगा।
4. निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में मूलभूत सूचना ब्रेल लिपि में (हिन्दी, अंग्रेज़ी या क्षेत्रीय भाषा में) तैयार कर प्रदर्शित की जाएगी।
5. दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में योगदान देना – ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को, जो मतदाता सहायता केन्द्रों में कार्य में सहायता करने, बूथ लेवल अधिकारी के रूप में कार्य करने, मतदान दल में कार्य करने आदि के रूप में निर्वाचन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने हेतु स्वेच्छापूर्वक अपनी सेवाएं समर्पित करते हैं, उन्हें इस प्रकार के कार्य सौंपे जाने चाहिए, जिससे कि वे अन्य दिव्यांग व्यक्तियों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित कर सकें।

च. दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग :-

1. प्रत्येक मुख्य निर्वाचन अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईटों को प्रयोक्ता अनुकूल तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरलता से सुलभ बनाया जाएगा।
2. नेत्रहीन मतदाताओं को पंजीकरण की स्थिति, मतदान केन्द्र संख्या, मतदान केन्द्र का नाम, मतदाता सूची में क्रम संख्या, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें नि:शक्त जन का नाम पंजीकृत है, मतदाता पहचान पत्र संख्या (एपिक), मतदान अनुसूची इत्यादि जैसी सूचना प्रदान करने हेतु वाक् संक्षिप्त संदेश सेवा (वॉयस एस एम एस) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

टिप्पणी:- *दिव्यांग व्यक्तियों के आंकड़े वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे तथा इसे साझा नहीं किया जाना चाहिए ताकि उनकी निजता बनी रहे।*

छ. दिव्यांग व्यक्तियों हेतु विशिष्ट अनन्य मतदान केंद्र :-

1. ऐसे स्थानों / क्षेत्रों / संस्थानों जहां पर नि:शक्त जन अत्यधिक संख्या में निवास करते हैं, वहां विशिष्ट अनन्य मतदान केन्द्रों को स्थापित किया जा सकता है। इस उद्देश्य हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से विशिष्ट मतदान केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ज. मतदान केन्द्रों पर भौतिक अभिगम्यता एवं सुविधाओं में सुधार किया जाना :-

1. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान केन्द्र भूतल पर स्थापित हों, यदि नहीं, तो प्रत्येक तल के लिए लिफ्ट सुविधा / रैम्प का विस्तार किया जाना चाहिए।
2. रैंम्पों का एक मानकीकृत एवं समरूप अभिकल्प कार्यान्वित किया जाएगा।
3. जहां पर स्थायी रैम्प की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है, वहां पर अस्थायी / चल रैम्प उपलब्ध करवाए जाएंगे।
4. रेतीले एवं कीचड़ वाले स्थानों मेंरैंप तक की पहुंच को आसान बनाया जाएगा।
5. रैम्प इस प्रकार से उपलब्ध करवाए जाएंगे कि ये सीधे ही मतदान केन्द्रों के दरवाज़ों से जुड़े हों, ताकि गलियारों से होकर जाने से बचा जा सके।
6. मतदान केन्द्रों पर पहुँचने के लिए स्थानीय प्राधिकरण / संबंधित विभाग द्वारा उचित मार्ग सुनिश्चित किए जाएंगे।
7. प्रत्येक मतदान केन्द्र के दरवाज़ों के सामने चल सुरक्षा-अवरोधेक (मोबाइल बैरीकेड्स) स्थापित किए जाएंगे।।
8. मतदान केन्द्र का प्रवेशद्वार पूर्णतः खुला हुआ रखा जाएगा और पहियेदार कुर्सी (व्हील चेयर) के आने-जाने हेतु मतदान कक्ष के चारों तरफ पर्याप्त स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
9. दिव्यांग व्यक्तियों के प्रवेश करने हेतु पृथक सुविधा, यदि संभव हो, उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
10. मानक निर्देशक सूचकों के साथ, मतदान कक्ष के मार्ग पर संकेतक होना चाहिए।
11. मतदान केन्द्रों में निर्वाचकों में से दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या के आधार पर सुविधाएं जैसे रैम्प, तिपहिया साइकिल, दृश्य-श्रव्य (ऑडियो-वीडियो) के माध्यम से आधारभूत सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये सुविधाएं आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षक द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित एवं प्रमाणित की जानी चाहिए।
12. चिह्नित मतदान केन्द्रों पर पहियेदार कुर्सी (व्हील चेयर) उपलब्ध करवाई जाएगी।
13. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता प्रवेश पास जारी किए जाएंगे। यह सुनिश्चित करने हेतु सभी कदम उठाए जाने चाहिए कि दिव्यांग व्यक्तियों को पंक्ति में प्रतीक्षा न करनी पड़े।

झ. राजनीतिक दलों का सहयोग :-

1. राजनीतिक दलों को दिव्यांग व्यक्तियों की अपेक्षाओं के अनुसार प्रचार सामग्री, घोषणा-पत्र, अपील आदि सांकेतिक भाषा के साथ-साथ दृश्य-श्रव्य (ऑडियो-वीडियो) और ब्रेल लिपि में प्रदर्शित करने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए।

ञ. सांख्यिकी आंकड़े :-

1. सांख्यिकी आंकड़ों में दिव्यांग व्यक्तियों संबंधी आंकड़े सम्मिलित किए जाना चाहिए।

कृपया सुनिश्चित करें कि दिए गए अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाए।

कृपया इस पत्र की पावती तुरन्त दें एवं उपरोक्त यथा-अपेक्षित कार्रवाई किया जाना तत्काल सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुमित मुखर्जी)
सचिव

“ ”

भारत निर्वाचन आयोग

ईपीएबीएक्स 011-23052246/268
फैक्स 011-23052001
वेबसाइट : www.eci.nic.in

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

सं० 464/अनु/पीडब्ल्यूडी/2016/ईपीएस **दिनांक: 7 सितम्बर, 2016**

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
समस्त राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र।

विषय: दिव्यांग व्यक्तियों (पी डब्ल्यू डी) को सुविधाएं प्रदान करना – तत्संबंधी।

महोदया / महोदय,

उक्त उद्धृत विषय पर समसंख्यक पत्र दिनांक 12/03/2016 की निरंतरता में आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों की पर्याप्त और गुणतापूर्ण सुगमता सुनिश्चित करने हेतु उनकी सही एवं रचनात्मक भागीदारी तथा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदेश जारी किए गए हैं :-

(i) प्रत्येक मतदान केन्द्र में दिव्यांग व्यक्तियों को बूथ लेवल अधिकारी द्वारा अभिज्ञात किया जाना चाहिए एवं इसका अभिलेख आंकड़ों में तथा श्रेणी-वार पृथक सूची में रखा जाना चाहिए;

(ii) दिव्यांग व्यक्तियों के नामों का पता लगाया जाना चाहिए एवं इसकी सूची बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, किंतु नि:शक्त जन की गोपनीयता बनाए रखने हेतु निर्वाचक नामावली में चिह्नित नहीं किया जाना चाहिए;

(iii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नि:शक्तजनों पर विस्तृत अनुदेश तैयार किए जाने चाहिए एवं इसे मतदान केन्द्र के बाहर प्रदर्शित किया जाना चाहिए;

(iv) नेत्रहीन निर्वाचकों की मतदाता मार्गदर्शिका, मतदाता पर्ची एवं मतदाता पहचान पत्र (एपिक) को यथासंभव ब्रेल में तैयार किया जाना चाहिए;

(v) नि:शक्त मतदाताओं हेतु पहियेदार कुर्सियों (व्हील चेयर) की आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामाजिक न्याय विभाग से संपर्क किया जाना चाहिए।

(vi) नि:शक्त मतदाताओं की सुविधा हेतु निष्पक्ष युवा स्वयं सेवकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(vii) नि:शक्त मतदाताओं हेतु विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु यथोचित

मतदाता मार्गदर्शिका होनी चाहिए।

(viii) प्रत्येक मतदान केंद्र में नि:शक्त मतदाताओं के लिए आश्वासित न्यूनतम सुविधा (ए एम एफ) सुनिश्चित की जानी चाहिए –

- राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपयुक्त ढाल समेत स्थायी रैम्प प्रदान किया जाना चाहिए;
- इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों (ई वी एम) में ब्रेल सुविधा प्रदान की जानी चाहिए;
- मतदान केन्द्र के लिए उचित पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए;
- मतदान केंद्रों पर उचित पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए;

(ix) दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधा देने हेतु मतदान अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए एवं उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के बारे में संवेदीकृत किया जाना चाहिए;

(x) नीतिपरक मतदान हेतु उचित वातावरण और स्वीप गतिविधियों को आयोजित किया जाना चाहिए;

(xi) संबंधित सुविधाओं के बारे में हितधारकों, राजनीतिक दलों, निर्वाचन तंत्र, मीडिया, निर्वाचकों को अवगत कराने हेतु जानकारी का प्रसार किया जाना चाहिए;

(xii) दिव्यांग व्यक्तियों हेतु, जहां वे बड़ी संख्या में आवास करते हैं, वहां विशेष मतदान केन्द्रों की स्थापना यथासंभव की जानी चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य सुविधाएं, जैसे कि – उचित शौचालय, मतदान केन्द्रों के बाहर स्पर्शनीय संकेतक एवं नेत्रहीन मतदाताओं हेतु ब्रेल में मतदाता मार्गदर्शिका उपलब्ध कराया जाना चाहिए;

(xiii) दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसे मतदान केन्द्रों के बारे में पहले से ही सूचित किया जाना चाहिए जहां पहियेदार कुर्सी हेतु ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है;

(xiv) जहां भी संभव हो, नेत्रहीन मतदाताओं हेतु ब्रेल में प्रतिरूपी (डमी) मतपत्र तैयार किए जाएं;

(xv) नेत्रहीन मतदाताओं के पंजीकरण हेतु वाक् संक्षिप्त संदेश सेवा (ऑडियो एस एम एस) (वेब या मोबाइल) जैसे श्रव्य अनुप्रयोगों को विकसित किया जाना चाहिए।

2. दिव्यांग व्यक्तियों के पंजीकरण और मतदान को सुगम करने के बारे में एक व्यापक गतिविधि चार्ट, स्पष्टता और सुसंगतता के लिए तैयार किया गया है। यह चार्ट स्पष्ट रूप से विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने, कदम उठाए जाने, संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियों का निर्धारण, करने और प्रत्येक गतिविधि के लिए एक निश्चित समय-सीमा और अभीष्ट परिणाम दर्शाता है। आपसे अनुरोध है कि एक समयबद्ध तरीके से उपरोक्त उपाय को लागू करने हेतु तत्काल कदम उठाएं।

3. दिव्यांग व्यक्तियों हेतु सूचना, शिक्षा एवं सुविधा को सम्मिलित करने हेतु एक पृथक स्वीप योजना तैयार की जानी चाहिए।

4. इन अनुदेशों में यथा प्रस्तुत किए गए अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा हेतु की गई पहलों एवं उठाए गए कदमों के संबंध में की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट (ए टी आर)एक माह के भीतर आयोग को प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(सुमित मुखर्जी)
सचिव

अनुलग्नक-I

दिव्यांग व्यक्तियों के पंजीकरण और मतदान को सुगम करने के बारे में स्पष्ट और सुसंगत गतिविधि चार्ट :-

I. निःशक्त नागरिक का पंजीकरण सुगम करना

गतिविधि	कदम	ज़िम्मेदारी	समय सीमा	जोखिम	परिणाम
पात्र निःशक्त नागरिकों की पहचान	आंकड़ा संग्रह, साझाकरण और सूचना का प्रसार	जिला निर्वाचन अधि० निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधि०/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधि० बूथ लेवल अधि० संबंधित विभाग	सारांश संशोधन से 6 महीने पहले	1. दिव्यांग व्यक्तियों और निःशक्तता के प्रकार की पहचान 2. विभिन्न स्रोतों से आंकड़ा संग्रह।	निःशक्त मतदाताओं का पता लगाना
पात्र निःशक्त नागरिकों को सुविधा	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नोडल अधिकारी, विशेष शिविरों का आयोजन, मतदाता सेवा केन्द्रों / साधारण सेवा केन्द्रों की स्थापना	जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधि० /सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बूथ लेवल अधि० संबंधित विभाग (एसजे तथाडी डब्ल्यू डी)	सारांश संशोधन से 3 महीने पहले	1. निर्वाचक नामावली में निःशक्त जनोंकीदुहरी प्रविष्टियां 2. मतदाता सेवा केन्द्र में दिव्यांग व्यक्तियों के लिएअनुपयुक्त सुविधा। 3. कुशल कर्मचारियों का अभाव 4. विभिन्न प्रकार की सामग्रियों, प्ररूपों आदि की अनुपलब्धता।	निःशक्त मतदाताओं संबंधी सूचना की उपलब्धता
निर्वाचक नामावलीआं कड़ों में चिह्नित करना	बूथ लेवल अधि० की पंजियों में चिह्नित करना। दिव्यांग व्यक्तियों के नामों का पता लगाया जाना चाहिए एवं इसकी सूची बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, किंतु निःशक्त जन की गोपनीयता बनाए रखने हेतु निर्वाचक	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बूथ लेवल अधि०	सारांश संशोधन से 3 से 6 महीने पहले	1. दिव्यांग व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा सुविधा का दुरुपयोग। 2. चिह्नीकरण में भूल-चूक की त्रुटियां।	निःशक्त मतदाताओं की जानकारी की उपलब्धता

	नामावली में चिह्नित नहीं किया जाना चाहिए				
गतिविधि	**कदम**	**ज़िम्मेदारी**	**समय सीमा**	**जोखिम**	**परिणाम**
हितधारकों, राजनीतिक दलों, निर्वाचन तंत्र, मीडिया, निर्वाचकों को जानकारी प्रसारित करना	राजनीतिक दलों के साथ बैठक काआयोजन, प्रेस नोट्स जारी करना, निर्वाचन तंत्र का प्रशिक्षण	जिला निर्वाचन अधि० निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधि०/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधि० बूथ लेवल अधि०	सारांश संशोधन से 6 महीने पहले	हितधारकों और निर्वाचन तंत्र के मध्य समन्वय का अभाव।	दिव्यांग व्यक्तियों के मध्य जागरूकता
वातावरण निर्माण, पंजीकरण के लिए स्वीप गति-विधियां	लक्षित हस्तक्षेप,मीडिया अभियानका आयोजन, गैर सरकारी संगठनों और बूथ स्तर जागरूकता समूह की भागीदारी सुनिश्चित करना	जिला निर्वाचन अधि० मु० निर्वाचन अधि०जिला परिषद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधि० /सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरणअधि० बूथ लेवल अधि० स्वीपसहभागी,संबंधित विभाग (एसजे और डीडब्ल्यूडी)	सारांश संशोधन से 6 महीने पहले	1. विभागों के बीच समन्वय / सहयोग की कमी। 2. धन का अभाव 3. विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सुविधाओं की अनुपलब्धता।	निःशक्त निर्वाचकों को अधिकाधिक जोड़ना

II. निःशक्त मतदाताओं हेतु मतदान को सुगम करना

गतिविधि	कदम	ज़िम्मेदारी	समय सीमा	जोखिम	परिणाम
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष अनन्य मतदान बूथों की स्थापना	1. निर्वाचक नामावली आंकड़ा संचय से दिव्यांग व्यक्तियों की पृथक सूची तैयार करना। 2. स्थानों कीपहचान जहां निःशक्त जन बड़ी संख्या में रहते हैं जैसे नेत्रहीनविद्यालय / संस्थाएं आदि 3. मतदान केंद्रों की स्थापना हेतु भवनों की पहचान।	जिला निर्वाचन अधि०रिटर्निंग अधि० /सहा० रिटर्निंग अधि० नोडल अधि० बूथ लेवल अधि०	निर्वाचन से 3 से 6 महीने पहले	1. दिव्यांग व्यक्तियों की बिखरी हुई जनसंख्या, **2. निःशक्तता के प्रकारों का लेखाकरण**	लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी में वृद्धि

गतिविधि	कदम	ज़िम्मेदारी	समय सीमा	जोखिम	परिणाम
दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरत के अनुसार मतदान बूथ में सुविधाओं का निर्माण	रैम्प, संकेतक (ब्रेल में भी), पृथक पंक्ति,छाया, बैठने की व्यवस्था, पहियेदार कुर्सी, प्रतीक्षा कक्ष, सहायकों आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करना	जिला निर्वाचन अधि०रिटर्निंग अधि० /सहा० रिटर्निंग अधि० नोडल अधि०	निर्वाचन से 3 महीने पहले	1. भूतल पर मतदान केंद्रों की कमी। 2. रैंप, लिफ्टों, पर्याप्त खुली जगह की अनुपलब्धता। 3. विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सुविधाओं की अनुपलब्धता।	निःशक्त निर्वाचकों का अधिक संख्या में मतदान करने आना
हितधारकों, राजनीतिक दलों, निर्वाचनतंत्र, मीडिया, निर्वाचकों को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना।	राजनीतिक दलों, के साथ बैठक आयोजित करना, निर्वाचनतंत्र, प्रेस नोट्स को प्रशिक्षण एवं स्वीप गतिविधियां। वाक् संक्षिप्त संदेश भेजना, मतदाता पर्ची का वितरण करने के दौरान एवं मतदान दिवस के दिन संकेतक द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया का प्रदर्शन करना	जिला निर्वाचन अधि०रिटर्निंग अधि० /सहा० रिटर्निंग अधि० नोडल अधि० मीडिया	मतदान से 30 दिन पहले	1. हितधारकों और निर्वाचनतंत्र के मध्य समन्वय का अभाव। 2. निर्वाचनतंत्र कार्य से अतिभारित। 3. आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता।	निःशक्त मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं और सूचना के बारे में हितधारकों के मध्य जागरूकता
विशेष आवश्यक-ताओं की पहचान, यदि कोई हो	मतदान बूथ क्षेत्र में घर-घर मतदाता पर्ची के वितरण के दौरान बूथ लेवल अधि० द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं को अभिज्ञात करना एवं सारणीकरण करना	रिटर्निंग अधि० /सहा० रिटर्निंग अधि० बूथ लेवल अधि० बूथ स्तर जागरूकता समूह	मतदान से 15 दिन पहले	1. दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का दुरुपयोग 2. दिव्यांग व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में राजनीतिक दलों द्वारा आपत्तियां / शिकायतें उठाई जा सकती हैं	अग्रिम में आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए रिटर्निंग अधि० के कर्तव्यों को सुगम बनाना
मतदान के दिन मतदान केंद्र पर सहायता।	बूथ लेवल अधि०, पीठासीन अधि०, मतदान दल, सुरक्षा कर्मियों आदि को प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के बारे में सूचित करना, विशिष्ट मतदान बूथों में	जिला निर्वाचन अधि०रिटर्निंग अधि० /सहा० रिटर्निंग अधि० बूथ लेवल अधि०	मतदान से 30 दिन पहले	कुशल श्रमशक्ति का अभाव	प्रेरणा, मुख-प्रचार, निःशक्त निर्वाचकों की मतदाता संख्या में बृद्धि

	क्षेत्रीय / आंचलिक अधि० के साथ कुशल कर्मियों की तैनाती				

गतिविधि	कदम	ज़िम्मेदारी	समय सीमा	जोखिम	परिणाम
वातावरण निर्माण, मतदान एवं नीतिपरक मतदान हेतु स्वीप गति-विधियां,	गैर-सरकारी संगठनों एवं बूथ स्तर जागरूकता समूहों को सम्मिलित करते हुए लक्षित हस्तक्षेप, मीडिया अभियान का आयोजन,	जिला निर्वाचन अधि०मु० निर्वाचन अधि० जिला परिषद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधि० / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधि० बूथ लेवल अधि० स्वीप भागीदार, संबंधित विभागों (एस जे तथा डी डब्ल्यू डी)	निर्वाचन से 6 महीने पहले	राजनीतिक दलों द्वारा आपत्तियां / शिकायतों उठाई जा सकतीं हैं।	नि:शक्त निर्वाचकों का अधिक संख्या में मतदान करने आना

"कोई भी मतदाता न छूटे"

भारत निर्वाचन आयोग

Election Commission of India

निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली – 110 001